

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अगिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विना करने के संबंध में। वाद संख्या:-/57/2017 राज्य बनाम *मानसी थाना*

आदेश की क्रम
सा० और तारीख
1

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी
तारीख-सहित
3

06.01.2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 का धारा 30(ए) के तहत थाना, मानसी थाना में दर्ज कांड संख्या-243/2016, दिनांक 08.12.02016, में 750 एम०एल० का 21(एक्कीस) बोतल, एवं 375 एम० एल० का 226 (दो सौ छब्बीस) बोतल विदेशी शराब जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापक 14/हि०शा०, दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदन के अगलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम०एल० का 01बोतल एवं 375 एम०एल० का 02 (दो) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है, तथा शेष 750 एम०एल० का 19 (उन्नीस) बोतल, एवं 375 एम०एल० का 223(दो सौ तैईस) बोतल विदेशी शराब थाना मानसी के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसी थाने के मालखाना में रखी गई कुल-750 एम०एल० का 19 बोतल एवं 375 एम०एल० का 223 बोतल कुल-97.875 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मानसी कांड संख्या-243/2016 के आधार पर जप्त की गई कुल-97.875 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।




समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की
गई कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित
3.

डी० बी० नं०.....13...../विधि, दिनांक...13-01-2018
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थाना, मानसी
/उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-जिला गृहना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया
को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड
करने की कृपा की जाय।


प्रतिपक्षी
जिला गृहना
खगड़िया।
13/01/18